




पूर्व मध्य रेल
समस्तीपुर मंडल
पेंशन अदालत दिनांक- 18.03.2020
आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि - 28.02.2020
अधिसूचना



पेंशन परिवारों के निष्पादन के लिए पेंशन अदालत का आयोजन दिनांक 18.03.2020 को 11:00 बजे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय/समस्तीपुर के "मंथन सभागार" में सुनिश्चित किया गया है। पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी/मृत कर्मचारी के आश्रित अपने पेंशन से सम्बन्धित परिवाद का पूरा विवरण निम्न प्रारूप में मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक), पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर को दिनांक 28.02.2020 तक समर्पित करें।

01. आवेदक का नाम :-
02. भू0पू0 कर्मचारी का नाम:-
03. पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थल :-
04. भू0पू0 कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंध :-
05. वर्तमान पता :-
06. सेवानिवृत्ति की तिथि :-
07. सेवानिवृत्ति के प्रकार (सामान्य/स्वैच्छिक/अनिवार्य) :-
08. भू0पू0 कर्मचारी की मृत्यु तिथि :-
09. प्राप्त किया गया अंतिम वेतन एवं वेतनमान :-
10. सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रण अधिकारी :-
11. पेंशन भुगतान आदेश सं० (P.P.O.No. की स्पष्ट प्रति संलग्न करें) :-
12. बैंक का अद्यतन खाता की स्पष्ट छायाप्रति जिसमें आई.एफ.एस. कोड एवं खाता संख्या अंकित हो :-
13. शिकायतों का विस्तृत विवरण :-

आवेदक का हस्ताक्षर

पेंशन संबंधी परिवाद उपर दिये गये प्रारूप में भर कर बंद लिफाफा में, जिसके उपर पेंशन अदालत दिनांक 18.03.2020 लिखा हो, उपरोक्त संबंधित पते पर दिनांक 28.02.2020 तक अथवा इसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए। वैसी शिकायतें जो पेंशन से जुड़ी नहीं हैं जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितों के नियोजन, कालबद्ध वेतन का भुगतान, भत्तों एवं वेतन बढ़ोत्तरी आदि, पेंशन अदालत के अंतर्गत विचारणीय नहीं होगी।

सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष या अधिक पूरा कर चुके पेंशनर कृपया ध्यान दें:-

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कम्प्यूटेशन (पेंशन संराशीकरण) की तिथि से 15 वर्ष पूरा होने पर पेंशन (वर्तमान पेंशन + संराशीकरण) के भुगतान हेतु कृपया पेंशन वितरक पदाधिकारी (अर्थात् बैंक/डाकघर आदि) से सीधे सम्पर्क करें।


(चन्द्र किशोर)

सहायक कार्मिक अधिकारी-11
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर
दिनांक- 30.01.2020

संख्या: का/207/समापक भुगतान/पेंशन अदालत-2020/XIII
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. निजी सचिव-1 / प्रमुकाधि- प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. निजी सचिव-1 / मरेप्र- मरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ।
03. गोपनीय सहायक/ अमरेप्र - अमरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ।
04. वमवाप्र/सम0- वे कृपया इसका प्रकाशन स्थानीय समचार पत्रों में कराये जाने की व्यवस्था करें।
05. मुकार्याधी/अनुश्रवण प्रकोष्ठ - वे कृपया इसे वेबसाईट पर अपलोड करें।
06. मंडल मंत्री - ईसीआरकेयू अजा- अजजा, ओवीसी एशों0 एवं पेंशनर एशों0/समस्तीपुर मंडल।
07. सूचना पट्ट।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का0)
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर